

# राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची

Section 05(1) and 19(1)

List of Public Information Officers/First Appellate Authorities of the Department / Organisation and its field offices and disposal of RTI applications and first appeals-

Sl.no	Name of official Designation of PIO with Phone/Call No	No of RTI Applications filed before PIO	No of Disposal of RTI Application		Application fee	Cost of information	Total amount	Name of official Designation of first appellate authority with Phone/Call No	No of Appeals filed before first appellate authority	No of Disposal of First Appeal		Remarks
			Information provided	Rejected						allowed	rejected	
	Dr. Sanjay Kumar Associate Professor Dept. of FMPT RIMS Ranchi 0431129849	169	90	11	1395	—	1395	Dr. R.K. Srivastava Director RIMS Ranchi 9431102200	21	21	—	

Submanoj  
12.3.2018

Dr. Sanjay Kumar  
Associate Professor, Dept. of Forensic Medicine  
P.O. Administration  
RIMS Ranchi

440

Section 4 (1)(b)

1. Whether seventeen point information under the mandatory Provision of Section 4 (a)(b) has been prepared or not? - Yes/No.  Yes
2. If prepared, has it been given wide publicity or not? - Yes/No.  Yes
3. The mode of publicity -
  - a. Put on internet/ Jharnet- Yes/No.  Yes
  - b. Published in Newspaper- Yes/No.  Yes
  - c. By any other means- elaborate  
(Such as keeping one set in the library for general public)
4. Whether the information is updated time to time? If, yes, the frequency of such up dating in a year.  Yes
5. Wheather field offices have prepared the seventeen point information under section 4(1)(b) or not.  Yes
6. If prepared, the same has been given wide publicity or not and its mode-
  - a. Number of field offices where PIO has been appointed. — 39
  - b. Number of N.G.O (under the control of the Department and R.T.I Act is applicable on them) where P.I.O have been appointed. NA
  - c. Number of field offices where section 4(1)(b) has been complied.
  - d. Number of N.G.O where Section 4(1)(b) has been complicted. NA
  - e. Those who have prepared the seventeen point information have given wide publicity to it or not-
    - i). by putting it on internet- Yes/No (in percentage)  Yes
    - ii). by publishing in newspaper- Yes/No (in percentage)  Yes
    - iii). By any other means- elaborate ~~NA~~ on Notice board at public access.

21.3.2019  
D.I.O. Admin.  
M.S. Panthi

06

441

Suo Moto information to the Public

(Section 4(2))

1. Whether suo moto information has been facilitated to the public - Yes/No ✓
2. If facilitated the mode -
  - a). Internet/Jharnet - Yes/No ✓
  - b). Booklet form - Yes/No ✓
  - c). By any other means - elaborate on by display on public place
3. Nature of information  
(elaborate like notification, logbook, file notes, records, samples, etc.) - NA-
4. Quantum / Volume of such information (Total number of pages) NA
5. Whether information is updated time to time - Yes/No ✓
6. If information is updated, its frequency in a year. Once.

*Shammi*  
21.3.2018  
P.O. Admin.  
RMS Rmaha

Format of Report for the Department / Organization

RIMS RANCHI.

07

1. Maintenance of record dully catalogued and indexed including computerization of records (Section 4(1)a). Yes,
2. Compliance on seventeen points (Section 4(1)b).  
(Format enclosed for report)
3. Suo motu information to the public (Section 4(2)). Yes.  
(Format enclosed for report)
4. Appointment of PIO's and assistant PIO's (Section 5(1)). Yes.  
Notification, Name, Address, Phone No. of PIO's and Assistant PIO's wide circulation.  
(Format enclosed for report)
5. Appointment of senior officer to PIO as 1<sup>st</sup> appellate authority (Section 19(1)). Yes.  
(Format enclosed for report)
6. Submission of report to the commission by different departments as laid down under section 25 (3)(monthly). ~~Yes~~ yearly basis.
7. Steps for the organization of educational programmes so that public could exercise the right contemplated under the Act (Section 26(1)a). Yes.
8. Training of PIO's (Section 26(1)d). — Done.
9. The appropriate Govt. has to prepare guide-lines within 18 months as laid down under section 26 (2). Yes.

Amended  
21.3.2018  
P.I.O. Admin.  
RIMS Ranchi

निदेशक का कार्यालय : राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची।

कार्यालय आदेशांक...../रा0आ0सं0, राँची, दिनांक .....

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के सुनिश्चित कार्यान्वयन हेतु संस्थान के निम्नलिखित पदाधिकारियों को नामित सहायक जन सूचना पदाधिकारी, जन सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय पदाधिकारी घोषित किया जाता है। सभी पदाधिकारीगण नियमानुकूल कार्य का निष्पादन करेंगे।

क्रम संख्या	विभाग का नाम	सहायक जनसूचना पदाधिकारी	जनसूचना पदाधिकारी	अपीलीय पदाधिकारी
1.	रिम्स प्रसाशन	श्री सुभाषचन्द्र भगत, स्वास्थ्य प्रशिक्षक पी.एस.एम. विभाग	डा0 संजय कुमार, सहायक प्राध्यापक, एफ.एम.टी. विभाग	निदेशक, रिम्स
2.	एनाटॉमी विभाग	डा0 के.के.पी. सिंह, सहायक प्राध्यापक	विभागाध्यक्ष	निदेशक, रिम्स
3.	फिजियोलॉजी विभाग	डा0 कुमार आशुतोष, ट्यूटर	विभागाध्यक्ष	निदेशक, रिम्स
4.	बायोकेमेस्ट्री विभाग	डा0 तारिक अजीज, सहायक प्राध्यापक	विभागाध्यक्ष	निदेशक, रिम्स
5.	पैथोलॉजी विभाग	डा0 रवीन्द्र कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक	विभागाध्यक्ष	निदेशक, रिम्स
6.	माइक्रोबायोलॉजी	डा0 अशोक कुमार शर्मा, सहायक प्राध्यापक	विभागाध्यक्ष	निदेशक, रिम्स
7.	फॉरमाकॉलॉजी	डा0 लखन मांडवी, सहायक प्राध्यापक	विभागाध्यक्ष	निदेशक, रिम्स
8.	एफ. एम. टी.	डा0 मनोज कुमार कोड़ा, ट्यूटर	विभागाध्यक्ष	निदेशक, रिम्स
9.	पी0एस0एम0, विभाग	डा0 मिथिलेश कुमार, सहायक प्राध्यापक	विभागाध्यक्ष	निदेशक, रिम्स
10.	औषधि विभाग	डा0 मनोज कुमार प्रसाद, सहायक प्राध्यापक	विभागाध्यक्ष	निदेशक, रिम्स
11.	शिशु विभाग	डा0(गिसेज) सुनन्दा झा, सहायक प्राध्यापक	विभागाध्यक्ष	निदेशक, रिम्स
12.	चर्मरोग विभाग	डा0 प्रभात कुमार, सहायक प्राध्यापक	विभागाध्यक्ष	निदेशक, रिम्स
13.	शल्य विभाग	डा0 कृष्णा पुरारी, सहायक प्राध्यापक	विभागाध्यक्ष	निदेशक, रिम्स
14.	शिशु शल्य विभाग	डा0 हिरेन्द्र बिरुआ, सह प्राध्यापक	विभागाध्यक्ष	निदेशक, रिम्स
15.	दन्त विभाग	डा0 उषा पाण्डेय, दन्त सर्जन।	विभागाध्यक्ष	निदेशक, रिम्स
16.	आर्थोपेडिक विभाग	डा0 गोविन्द कुमार गुप्ता, सहायक प्राध्यापक	विभागाध्यक्ष	निदेशक, रिम्स
17.	न्यूरोसर्जरी विभाग	डा0 आनन्द प्रकाश, सहायक प्राध्यापक	विभागाध्यक्ष	निदेशक, रिम्स
18.	स्त्रीरोग एवं प्रसूति विभाग	डा0 अर्चना कुमारी, सहायक प्राध्यापक	विभागाध्यक्ष	निदेशक, रिम्स
19.	इ.एन.टी. विभाग	डा0 संदीप कुमार, सहायक प्राध्यापक	विभागाध्यक्ष	निदेशक, रिम्स
20.	क्लाड बैंक	डा0 कान्ति कुमार सिंह, मेडिकल ऑफिसर	प्रभारी / विभागाध्यक्ष	निदेशक, रिम्स
21.	टी.बी. एवं चेरस्ट विभाग	डा0 लक्ष्मण मण्डल, मेडिकल ऑफिसर	विभागाध्यक्ष	निदेशक, रिम्स
22.	कार्डियोलॉजी विभाग	डा0 प्रकाश कुमार, सहायक प्राध्यापक	विभागाध्यक्ष	निदेशक, रिम्स

M 23/11

क्रम संख्या	विभाग का नाम	सहायक जनसूचना पदाधिकारी	जनसूचना पदाधिकारी	अपीलीय पदाधिकारी
23.	रेडियोथेरेपी		विभागाध्यक्ष	निदेशक, रिम्स
24.	चक्षु विभाग	डा० राहुल प्रसाद, सहायक प्राध्यापक	विभागाध्यक्ष	निदेशक, रिम्स
25.	रेडियोलॉजी विभाग	डा० पारसनाथ राम, सहायक प्राध्यापक	विभागाध्यक्ष	निदेशक, रिम्स
26.	निश्चेतना विभाग	डा० प्रवीण कुमार तिवारी, सहायक प्राध्यापक	विभागाध्यक्ष	निदेशक, रिम्स
27.	मातृका	श्रीमति नितिमा रुण्डा, सहायक मातृका	प्रमारी मातृका	निदेशक, रिम्स
28.	एम०आर०डी०		प्रमारी	निदेशक, रिम्स
29.	नर्सिंग कॉलेज, रिम्स		प्रमारी प्राचार्या	निदेशक, रिम्स
30.	लेबोरेट्री मेडिसीन		प्रमारी	निदेशक, रिम्स
31.	जेनेटिक रिसर्च		प्रमारी / विभागाध्यक्ष	निदेशक, रिम्स
32.	पारामेडिकल		प्रमारी / विभागाध्यक्ष	निदेशक, रिम्स
33.	मनोचिकित्सा विभाग		विभागाध्यक्ष	निदेशक, रिम्स
34.	यूरोलॉजी		विभागाध्यक्ष	निदेशक, रिम्स
35.	छात्रावास		छात्रावास अधीक्षक	निदेशक, रिम्स
36.	आकाशिकी		प्रमारी	निदेशक, रिम्स

37. चिकित्सा अन्वेषक कार्यालय

- 10 -

38. उपनिदेशक प्रशासन कार्यालय

- 10 -

39. निदेशक की भंडा

- 10 -

निदेशक

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची।

ज्ञापक 6882 / रा०आ०सं० राँची, दिनांक 23.05.16

प्रतिलिपि:- सभी नामित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Mu 23/5/16  
निदेशक

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची।